03.07.2009

12.14 hrs.

(viii) Committee on Official Language

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"िक राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने हेतु इस समिति के सदस्य बनने के लिए मैं अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4(3) अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

MADAM SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of this House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from amongst themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with section 4(3) of the said Act."

The motion was adopted.